



आजीविका वर्धन व्यवसाय योजना

पाल्जे स्वंय सहायता समूह

एस ,एच, जी, नाम	पाल्जे स्वंय सहायता समूह
बी, एम, सी, सब कमेंटी	डेमुल
एफ, टी, यू, रेज	वजा
डी, एम, यू	सिपिति
एफ सी सी यु/सर्किल	शिमला

हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र प्रबंधन एव आजीविका सुधार परियोजना

(जाईका वित्तपोषित)

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	कार्यकारिणी सांराष	1-2
02	परिचय	3
03	स्वंय सहायता समूह की सूची	4
04	समूह का विवरण	5
05	ग्रम की भौगोलिक स्थिति	6 - 7
06	आय सृजन गतिविधियो से सम्बंधित उत्पादन	8
07	उत्पादन हेतु नियोजन	9
08	बिक्री का विवरण	10
09	समूह के मध्य प्रबंधन का विवरण	10
10	षक्ति दुर्बलता अवसर जोखिम का विषलेषण	11
11	संभावित जोखिम व उनको कम करने के उपाय	11 - 13
12	उद्यम हेतु अनुमानित लागत	14
13	उद्यम लागत	14
14	समूह की वित्तिय आवश्यकता	14
15	सम विच्छेदन बिंदु की गणना (ब्रेक इविन प्वाइंट)	15

16	स्वयं सहायता समूह के नियमों की सूची	16
17	समूह का सहमति पत्र	17
18	समूह के सदस्य का फोटो	

1, परिचय

हिमाचल प्रदेश के पश्चिम हिमालय क्षेत्र में स्थित पहाड़ी राज्य है। जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश की जलवायु बहुत उपयुक्त है तथा अनेक छोटी बड़ी नदिया व घाटिया प्रदेश की सुंदरता को बढ़ाती है प्रदेश की कुल आबादी 30 लाख है। इस का भौगोलिक क्षेत्र 55673 वर्ग किलोमीटर है जो कि प्वालिक पहाडियों के ऊपरी हिमालय के षीत मरुस्थल तक फैला हुआ है। यहां कृषि व बागवानी मुख्य व्यवसाय है। हिमाचल के 12 जिलो में स्पिति जिला पर्यटन कृषि व जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध है।

गांव डेमुल डाकघर, डेमुल तहसील स्पिति जिला लाहौल स्पिति हिमाचल प्रदेश में स्थित है जिले की घाटियों को भैतिक सरचना के आधार पर तरह तरह के नाम दिये गए है जिस में एक नाम डेमुल है। काजा स्पिति मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दुरी पर है।

गांव डेमुल मे लोगो का मुख्य व्यवसाय कृषि बागवानी है। अधिकतर लोगो के पास बहुत का जमीन है जिसके कारण उनकी आजीविका का निर्वाह अच्छे ढग से नहीं हो पा रहा है।

जीवन निर्वाह को अच्छा करने के लिए लोग नगदी फसल व बागवानी का कार्य करके अपनी आजीविका चलाते है गांव मे लोग बुनाई का कार्य भी कर रहें है। परंतु उत्पादन पारंपरिक तरीके से होता है। इससे उत्पादन कम और आय भी कम होती है इस समस्या को दुर करने के लिए व उत्पादको का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन महिलाओं को उत्तम किस्म के यंत्रो के बारे में जो इस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। उनकी जानकारी की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र एवं प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना ने गांव मे ग्रम वन समिति डेमुल के गठन के बाद लोगो को आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए समूह में कार्य करने के बोरे में बताया परियोजना के माध्यम से हिक्किम में 03 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया पाल्चे स्वयं सहायता समूह व सैमथुन स्वयं सहायता समूह व यातो जोमया के रूप में किया गया इसके बाद पाल्जे स्वयं सहायता समूह ने खडी व शॉल का कार्य करने का निर्णय लिया। इस समूह में 9 सदस्या शामिल हुए।

गांव डेमूल

2. पाल्जे स्वयं सहायता समूह की सूची।

क्रमांक	सदस्यो का नाम	पद	आयु	लिंग	योग्यतक	श्रेणी	सम्पर्क
01	छेरिग	सदस्य	30	स्त्री	अनपढ	एस.टी	
02	दोरजे डोलमा	सचिव	40	स्त्री	अनपढ	एस.टी	
03	छिडुप	सदस्य	37	स्त्री	अनपढ	एस.टी	
04	पदमा	सदस्य	34	स्त्री	अनपढ	एस.टी	
05	छेरिग बुटित	प्रधान	42	स्त्री	अनपढ	एस.टी	
06	पदमा डोलकर	सदस्य	45	स्त्री	अनपढ	एस.टी	
07	टंषी डोलमा	सदस्य	47	स्त्री	अनपढ	एस.टी	7876435296
08	बुटित	सदस्य	37	स्त्री	बरहवी	एस.टी	
09	कर्मा	सदस्य	51	स्त्री	आठवी	एस.टी	

3. पाल्जे स्वयं सहायता समूह का विवरण

01	समूह का नाम	पाल्जे स्वयं सहायता
02	ग्राम वन विकास समिति	स्पिति
03	वन परिक्षेत्र क्षेत्रीय तकनीकी इकाई	काजा
04	वन मंडल मंडलीय प्रबंधन इकाई	स्पिति
05	गांव	डेमुल
06	विकासखड़	काजा
07	जिला	लाहौल स्पिति
08	समान सूची समूह में कुल सदस्यो की संख्या	09
09	समूह की गठन की तिथि	15/11/22
10	बैंक खाता संख्या	50075332006
11	बैंक का नाम और प्शाखा जंहा समूह का खाता संचलित है।	KCC Bank Kaza
12	स्वयं सहायता समूह की मासिक बचत	100 हर माह
13	कुल बचत	10800/-
14	सदस्यो को आपस में दिया गया ऋण	
15	नगदी जमा करने की सीमा	
16	चुकौती की स्थिति	

4. गाँव की भौगोलिक स्थिति

01	जिला मुख्यालय से दूरी	30 किलोमीटर लगभग
02	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	ताबो 30 किलोमीटर लगभग

03	प्रमुख बाजार का नाम	काजा
04	प्रमुख बाजार की दूरी	08 किलोमीटर लगभग
05	मुख्य षहरो के नाम जहां उत्पादन का विक्रय विपणन किया जाएगा	काजा, रामपुर, कूल्लू, मनाली।
06	प्रस्तावित आय सृजन गतिविधि के संबध मे गांव की कोई विशेष सूचना	
07	पिछले पूर्व और आगामी संपर्कों की स्थिति	

(1) व्यवसाय योजना की आवश्यकता

ग्राम वन विकास समिति डेमुल में महिलाओं का पहले से गठित समूह है जिस में

समूह की सभी महिलाएं गलीचे और शॉल का कार्य करके अपनी आजीविका को बढ़ाना चाहती हैं। इसलिए महिलायों ने समूह के माध्यम से JICA परियोजना से बुनाई की मशीन प्रदान करने तथा उचित प्रशिक्षण की मांग की है।

(2) व्यवसाय योजना के उद्देश्य

- समूह के सभी सदस्यों की क्षमता का निर्माण करना।
- समूह के लिए निरंतर आय के साधन उपलब्ध कराना।
- उत्पादन को उचित बाजार से जोड़ना।
- सभी सदस्य को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना।
- बुनाई व हथकरघा व्यवसाय की नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
- आजीविका की बढ़ोतरी।

(3) व्यवसाय योजना में निम्न कार्य शामिल है।

- बुनाई कोटी स्वेटर बच्चों के सेट टोपी जुराबे इत्यादी शामिल है।
- हथकरघा गलीचे बनाने का कार्य शामिल है।

(4) सामुदायिक गतिशीलता

इसके अंतर्गत ग्रामीणों में जागरूकता एवं सामुदायिक गतिशीलता के उपरान्त आजीविका वर्धन के विकल्प का चयन तथा उसके लिए लाभार्थी की छटनी की गयी है।

(5) समूह का निर्माण

संख्य सहायता समूह के सदस्यों को एकत्रित कर समूह का गठन किया गया तथा समूह का अध्यक्ष सचिव का सर्वसहमति से चुनाव किया गया है। समूह के सदस्यों की सहमती से समूह के लिए नियम व शर्तें निर्धारित करके उन्हें लागू करने का प्रावधान किया गया है।

(6) क्षमता का निर्माण

लाभार्थी की क्षमता निर्माण हेतु उनका उचित प्रशिक्षण करवाया जाना आवश्यक है।

(7) मशीन व खडी इत्यादी का वितरण

समूह के सभी सदस्यों को अच्छी किस्म की मशीनें उपलब्ध करवाई जाए ताकि अच्छे ढंग से कार्य कर सकें।

(8) बाजार से जोड़ना

अपने उत्पादन बेचने के लिए समूह किसी सरकारी व निजी सोसाइटी से उचित शर्तों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए तैयार है विक्रय के लिए लोकल बाजारों के दुकानदारों से जोड़ कर मेलों में प्रदर्शनी लगाकर आय कमाने हेतु जो

जाएगा। अधिक उत्पादन होने पर कूल्हू व रामपुर बाजार के क्षेत्र में दुकानदारों से जुड़ कर कार्य करेगी।

(9) वित्तीय संसाधनों एवं संगठित विभागों से जोड़ना।

यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए समूह को वित्तीय संस्थानों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओं से अवगत करवाया जाएगा तथा परियोजना द्वारा बैंकों से जोड़ा जाएगा।

(10) बाजार की जानकारी।

काजा, रामपुर, कूल्हू, मनाली के क्षेत्रों में दुकानदारों के साथ जुड़ कर कार्य करेगी।

(11) आपेक्षित सहायता एवं संसाधन।

वित्तीय प्रबंध (पूंजीगत व्यय का 75% श्रेणी बार परियोजना द्वारा सहायता दी जाएगी शेष 25% सदस्य द्वारा वहन किया जाएगा।

कुल: 09 सदस्य

तकनीकी : तकनीकी सहायता गाँव में ही मास्टर टेनर लगाकर परियोजना द्वारा उचित प्रशिक्षण का प्रावधान परियोजना द्वारा दिया जाएगा।

(12) आनुमानित लाभ।

महिलाओं के लिए घरेलू रोजगार उपलब्ध होगा।

समूह के सभी सदस्यों के लिए आजीविका वर्धन का दीर्घ कालीन एवं निरंतर साधन उपलब्ध होगा।

समूह की महिलाएं इस कार्य को खाली एवं अतिरिक्त समय में कर सकती हैं।

5. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पादन का विवरण।

1	उत्पादन का नाम	हैडलुम (खडी और शॉल)
2	उत्पादन की पहचान की पद्धति	हैडलुम
3	स्वयं सहायता समूह/ समान सूची समूह/ सदस्यों की सामूहिक सहमति।	09

6. उत्पादन की प्रक्रियाओं का विवरण।

सर्वप्रथम स्वयं सहायता के सदस्यों को परियोजना द्वारा, हैडलूम (खडी और शॉल) आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत समूह के सदस्य द्वारा उत्पादन तैयार करने में निम्न प्रक्रिया की जाएगी।

समूह के सभी सदस्य मिल कर कार्य करेंगे।
समूह में सभी सदस्य विपणन करेंगे और कच्चा माल भी लाएंगे।
समूह के सभी सदस्य प्रतिदिन 4 से 5 घण्टे काम करेंगी।

7. उत्पादन हेतु नियोजन।

प्रतिमाह कार्य दिवस : 30
प्रतिमाह कार्य करने वाले व्यक्ति : 09
कच्चे माल के स्रोत: काजा, रामपुर, कूल्लु, मनाली।
अन्य संसाधन के स्रोत: काजा, रामपुर, कूल्लु, मनाली।

1	उत्पादन चक्र (दिनों में)	30 दिन प्रतिदिन 4 से 5 घण्टे कार्य करेंगी।
2	प्रतिचक्र कार्यकताओं की आवश्यकता संख्यां	4
3	कच्चे माल के स्रोत	काजा, रामपुर, कूल्लु, मनाली।
4	अन्य संसाधन के स्रोत	काजा, रामपुर, कूल्लु, मनाली।

नोट : स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाता है। तथा इस व्यवसाय योजना में शामिल नहीं है।

8. बिक्री का विवरण।

1	संभावित बाजार स्थल	काजा, रामपुर, कूल्लु, मनाली।
2	इकाई से दूरी	काजा : 37

		रामपुर : 305 कुल्लु : 222 मनाली : 231
3	बाजार में उत्पादन की मांग	पंरमपरंगत गलिचे व शॉल की ठण्डे इलाके जैसे लाहौल सपिति, किन्नौर, और शिमला मे काफी प्रचलित है।
4	बाजार में पहचान की प्रकिया	लोकल बाजारों को चिन्हित किया गया है। जैसे की काजा कूल्लु रामपुर मनाली
5	उत्पादन कें संभावित खरीदार	मांग के अनुसार उत्पादन घटाया या बढ़ाया जाएगा।
6	क्षेत्र में संभावित उपभोक्ता	स्थानीय निवासी
7	उत्पादन का विपणन तंत्र	गाँव व षहर की महिलाएं पुरुष
8	उत्पादन की विपणन रणनीति	समूह कार्य की निपुणता के आधार पर सदस्यों का चयन किया जाएगा।

9. समूह के सदस्य के मध्यप्रबंधन का विवरण।

प्रबंधन के लिए नियम बनाए जाएंगे।

समूह के सदस्य आपसी सहमती से कार्य करगी।

कार्य कुशलता एवं क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

लाभ का बंटवारा भी कार्य की गुणवत्ता तथा मेहनत के आधार पर किया जाएगा।

विपणन करने वाले सदस्य को कुल 5% कमीशन दी जाएंगी।

प्रधान व सचिव प्रबंधन का मूल्यांकन एवं आवलोकन समय समय पर करते रहेंगे।

10. शक्ति दुर्बलता अवसर जोखिम का विप्लेषण।

शक्ति।

महिलाओं में कार्य करने की लगन है।

पहले से ही सभी महिलों का काम करती है।

समूह में अनुभवी सदस्य भी है।

दुर्बलता।

महिलाएँ कृषि व पशुपालन के कार्य भी करती है।

कार्य के लिए 4 या 5 घण्टें ही निकाल पाना।

अवसर ।

हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र प्रबधन परियोजना से सहयोग व निधि मिलेगी ।
प्रषिक्षण से कुषलता व क्षमता में बढोतरी होगी ।
उत्पादको की लोकल व शहरों में मांग है ।
काजा , कूल्लु, रामपुर,मनाली , चंद्रताल ,पर्यटक स्थल है ।
अच्छे उत्पादन तैयार करना ।

चुनौती ।

बजार की स्थिति को ना समझना ।
अन्य उत्पाद केंद्रो से प्रतिस्पर्धा ।
उपभोक्ताओं से ताल मेल की कमी ।
अन्य (कृषि बागवानी व पशुपालन) कार्यो में व्यवस्था ।

11. संभावित चुनौतियों तथा उनको कम करने के उपायों का विवरण।

क,स	जोखिम / चुनौतियों का विवरण	जोखिम कम करने के उपाय
1	बजार की स्थिति को ना समझना।	समय – समय पर बाजार की मांग के अनुसार चलना।
2	अच्छे उत्पादन तैयार ना करना।	उपभोक्ताओं के मनपंसद उत्पाद तैयार करना।
3	अन्य उत्पाद केंद्रों से प्रतिस्पर्धा।	अन्य उत्पाद केंद्रों से बेहतर उत्पाद बनाना व पुरु में कम लाभ कमाना।
4	उपभोक्ताओं से ताल मेल की कमी।	उपभोक्ताओं से हमेशा संपर्क में रहना।
5	कृषि बागवानी व पशुपालन कार्यों में ज्यादा व्यवस्था।	कृषि बागवानी व पशुपालन और घर के कार्य के साथ साथ बुनाई में ध्यान देना।
6	समूह में बंटवारा	समूह में बंटवारा कुशलता व क्षमता के आधार पर करना।
7	उत्पादन की गुणवत्ता घटने से बिक्री कम हो सकती है।	गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समूह को उच्च मापदंड रखने होंगे।

12. उद्यम हेतु अनुमानित लागत।

(1) पूजीगत व्यय।

क्रमांक	गतिविधि	मात्रा	मुल्य	कुल व्यय	परियोजना अंश 75%	लाभार्थी अंश 25%
1	खडी (दोडु)	01	15000	15000	11250	3750
2	Whoolspning Machine	9	6000	54000	40500	13500
	योग			69000	51750	17250

(2) आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए) एक महीना लिया गया है।

क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	कच्चा माल घागा	थकलोग्राम	90	400	36000
2	सुतर घागा	थकलोग्राम	50	300	15000
3	मजदूरी	थदन	30	350	10,500
4	अन्य खर्चा पेकेंज,स्टीकर,बिजली कमरा, किरया, परिवहन खर्चा इत्यादि			L/S	4000
5	कुल योग				65500

क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	छर	धनराशि
	दोडू				
1	कच्चा माल घागा / ताना	किलोग्राम	20kg	700	14000
2	बाना घागा	किलोग्राम	20kg	300	6000
3	मजदूरी	थदन	30	350	10,500
4	अन्य खर्चा पेकेंज,स्टीकर,बिजली कमरा, किरया खर्चा इत्यादि			L/S	4000
5	कुल				34500
	योग				100000

(3) उत्पादन की लागत

क्रमांक	विवरण	धनराशि
1	कुल आवती लागत	100000
2	पूंजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य ह्रास	6900
3	योग	106900

(4) विक्रय मूल्य की गणना ।

क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	छर	धनराशि
	उत्पादन की लागत				
1	शॉल	नंबर	12	4000	48000
2	गलिचे	नंबर	12	7000	84000
3	कुल लागत				132000

(5) उत्पादन की अनुमानित विक्रय ।

	गलिचे	80%	12	8000	96000
	दोडू	60%	12	14000	168000
	कुल		24 नग		264000

निरधारित लाभ (प्रतिषत में)

1	गलिचे	80%	12	3200	38400
2	दोडू	60%	12	4200	50400
	कुल		24 नग		88800

13. उम हेतु लागत – लाभ विषलेष्ण (एक चक के लिए)

क्रमांक	म्द	धनराषी
	पूजीगत व्यय पर 10% वार्षिक ह्रास	350
	आवर्ती व्यय	100000
	योग	100350
	कुल उत्पादन	24 नग प्रतिमाह
	उत्पादन की विक्रय मूल्य प्रतिमाह	264000
	उत्पादन की बुनाई से आय	88800
	कुल लाभ = बिक्री मूल्य- (पूजीगत मूल्य ह्रास+ आवर्ती मूल्य) = 264000 - (350+ 100000)	163650
	उत्पादन की बुनाई से सकल लाभ = कुल लाभ + मजदूरी +कमरा किराया = 163650 +21000 +4000	188650

यह धनराषी मजदूरी व किराये की धनराषी के अतिरिक्त है

14. धन की आवश्यकता

क्रमांक	विवरण	राशि
1	परियोजना द्वारा पूंजीगत व्यय का 75% अनुदान	31500
2	लाभार्थी अंश 25% पूंजीगत व्यय	10500
3	अन्य व्यय	6000
	प्रशिक्षण	55000
	योग	103000

15. सम विच्छेदन बिन्दु (ब्रेक इविन प्वाइन्ट) की गणना।

ब्रेक इविन प्वाइन्ट = पूंजीगत व्यय / (विक्रय मूल्य - आवर्ती व्यय)

$$= 69,000 / (131933 - 100000)$$

$$= 69000 / 31933 = 2.16$$

$$= 2.16 \text{ माह} = 2.16 \times 30 = 65 \text{ दिन लगभग}$$

अतः लगभग से दिनों में सम विच्छेदन बिन्दु प्राप्त किया जाएगा।

16. स्वयं सहायता समूह नियमों की सूची।

1. समूह का काम : खड़ी/पॉल
2. समूह का पता : गाँव डेमुल , डाकघर डेमुल , तहसील सिपिति जिला लाहौल सिपिति हिमाचल प्रदेश।
3. समूह के कुल सदस्य : 09
4. समूह की पहली बैठक की तिथि ;
5. समूह में हर 100 रूपए पर 2 रूपए ब्याज होगा।
6. समूह की मासिक बैठक हर माह की 10 तिथि को होगी।
7. समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेंगे।
8. स्वयं सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पड़ेगा।
9. स्वयं सहायता समूह का खाता हिमाचल प्रदेश KCCB KAZA शाखा में खोला है खाता संख्या नंबर 50075332006 है।
10. समूह की बैठक में गेर हाज़िर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कार्य बता कर अनुमति लेनी होगी।
11. समूह में जो बचत की राशि जमा नहीं करवाते या 3 बैठकों तक समूह से गेर हाज़िर रहते हैं तो उस महिला को समूह से निकाल दिया जाएगा।
12. समूह में जो व्यक्ति कारण बताए वगैरे गेर हाज़िर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा अगर दो सदस्य होंगे तो खर्च मिल कर देना होगा।
13. भविष्य में स्वयं सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्व सहमति से चुने जाएंगे।
14. प्रधान व सचिव बैंक से लेन देन कर सकते हैं यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा।
15. प्रधान, सचिव या सदस्य समूह के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेंगे।
16. अगर सदस्य किसी कारणवश समूह को छोड़ना चाहता है अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है तो समूह को वापिस करना होगा तभी समूह को छोड़ सकता है अन्यथा नहीं
17. ऋण का उद्देश्य रकम की चुकोती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी।
18. आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम 1000 रूपये की राशी होनी चाहिए।
19. स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर को सभी सदस्यों के सामने पढ़ा व लिखा जाना चाहिए।
20. बड़े ऋण लेने वालों को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी।
21. ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यों को मिलना चाहिए।
22. अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा राशी समूह में बांटी जाएगी।
23. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रति माह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technical Unit) के कार्यालय में देनी होगी।

सहमति पत्र

समूह के बिज़नेस प्लान का सहमति पत्र

आज दिनांक 15/12/2022 को BMC Sub Committee -Demul में पाल्जे संवय सहायता समूह की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता समूह की प्रधान व सचिव की अध्यक्षता में की गई। जिसमें समूह की सभी महिलाओं ने खडी (गलीचे) का कार्य करने में सहमती दिखाई है। और कार्य करके समूह की आय को बढ़ाएगी। और आजिविका सुधार योजना जाइका परियोजना से जुड़ने में सब ने सहमति दिखाई है।

PRESIDENT
PALZEY S.H.G. DEMUL,
DISTT. LAHAUL & SPITI (H.P.)

छेरिंग भुटित

SECRETARY
PALZEY S.H.G. DEMUL,
DISTT. LAHAUL & SPITI (H.P.)

दोरजेडोलमा

Divisional Forest Officer
Spiti Wild Life Division
Kaza (HP)

पाल्जे स्वयं सहायता समूह का फोटोग्रफ ।

